संख्या-03/2023/I/294366/2023/फाइल नं0-86-01002(002)/1/2023

प्रेषक,

विपिन कुमार जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0,
लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद कुशीनगर में अवैध खनन/अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने हेतु तकनीकी अवसंरचनाओं के अन्तर्गत 02 चेकगेट्स एवं 01 मिनी कमाण्ड सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2899/एस-2022, दिनांक 12.01.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कुशीनगर में अवैध खनन /अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने हेतु तकनीकी अवसंरचनाओं के अन्तर्गत 02 चेकगेट्स एवं 01 मिनी कमाण्ड सेन्टर की स्थापना हेतु रूपये 79,90,488.00 (रूपये उन्यासी लाख नब्बे हजार चार सौ अट्ठासी मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति सहित वित्तीय वर्ष 2022-23 में रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की जिलाधिकारी, कुशीनगर के पक्ष में वित्तीय एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं-

i. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-31/2022/वी-2-325/दस-2022-244/2022 दिनांक 14.12.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
ii. आग्रिम आहरण के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग के शासनादेश संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 में दी गयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शर्तों/प्रतिबन्धों एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

iii. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन का आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

iv. इस वर्ष स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2023 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ो में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए उसकी सूचना अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाय, ताकि उक्त से वित्त विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

v. प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि के आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

vi. स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0 इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

vii. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय की गई सामग्री/उपकरणों/मशीनों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

viii. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामग्री/उपकरणों/मशीनों के क्रय में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

ix. आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित की जायेगी।

x. प्रस्तावित सामग्री/उपकरणों/मशीनों का क्रय जेम पोर्टल/निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा तथा इस संबंध में शासन स्तर से समय-समय पर जारी क्रय नियमों/प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xi. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। व्यय की गयी धनराशि का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर का होगा।

xii. यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

xiii. धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उसके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

xiv. यथासमय व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

xv. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि इस संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर का होगा।

xvi. शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर तथा निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी /वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उपर्युक्त कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के पूंजीगत लेखाशीर्षक-4853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-01 खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एकमुश्त व्यवस्था के मानक मद-''26 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र " के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-6-168-X-2022-23 दिनांक 03 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

विपिन कुमार जैन

विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक :तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी कुशीनगर।
5. वित्त नियन्त्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. खान अधिकारी, कुशीनगर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विपिन कुमार जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।